कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
महात्मा गाँधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर
(शासकीय स्वशासी संस्था)

पता :- ए.बी. रोड, इन्दौर 452001

कार्यालय दूरभाष नंबर :- 0731-2527383, ईमेल :-dean.ind@mp.gov.in

क्रमांक / 4834 / स्था / स्वशासी / सु.स्पे. / 2026 इन्दौर दिनांक 13/03/26

PROVISIONAL ORDER

/ / आदेश / /

संचालनालय चिकित्सा शिक्षा मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, इन्दौर हेतु सह–चिकित्सकीय संवर्ग के स्वीकृत पदों की अनुसूची प्राप्त होने के पश्चात् एवं मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक एफ 2–20 / 2020 / 1 / 55 भोपाल दिनांक 17.11.2020 द्वारा प्रथमतः मध्यप्रदेश शासन के शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयों में संचालित पैरामेडिकल कोर्सेस से उतीर्ण उम्मीदवारों से पदपूर्ति किये जाने के निर्देश प्राप्त होने के फलस्वरूप विज्ञापन क्रमांक / 17624 / स्था / अवि / 2021 दिनांक 23.10.2021 प्रकाशित किया गया था, जिसके तारतम्य में मध्यप्रदेश के समस्त शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयों में संचालित पैरामेडिकल कोर्सेस से उत्तीर्ण अभ्यार्थियो के चौथे चरण की मेरिट सूची अनुसार शॉर्टलिस्ट किया जाकर दिनांक 03.08.2022 को मूल दस्तावेजों की स्क्रुटनी आयोजित की गई थी। अभ्यर्थी के मूल दस्तावेजों के सत्यापन उपरांत श्री साकेत रंजन सिंह को एनेस्थिसिया टेक्नीशियन के पद हेतु पात्र पाया गया। माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ, इन्दौर द्वारा याचिका क्रमांक 17896 / 2022 में दिनांक 13.12.2024 एवं 10.01.2025 को पारित आदेश के परिपालन में अभ्यर्थी के नाम के सम्मुख दर्शाये गये पद पर सातवे वेतनमान में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश तक निम्नानुसार सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, इन्दौर में अनंतिम रूप से नियुक्त **(प्रोविजनल)** कर पदस्थ किया जाता है :–

NO.	NAME OF CANDIDATE	SELECTION CATEGORY	CANDIDATE CATEGORY	POST	PAY SCALE
01	SAKET RANJAN SINGH	UR	SC	ANAESTHESIA TECHNICIAN	28700-91300 **लेवल–07**

आपकी नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी : –

1. **यह नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इन्दौर में दायर रिट याचिका क्रमांक 17896 / 2022 एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 13.12.2024 एवं 10.01.2025 के परिपालन में उक्त याचिका के अंतिम निर्णय के अध्यधीन रहेगी।**
2. चयनित प्रत्याशी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अथवा कार्यभार ग्रहण करने के तत्काल पश्चात जिला चिकित्सा मंडल के समक्ष उपस्थित होकर स्वास्थ्य परीक्षण करना होगा एवं स्वस्थ्यता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
3. म.प्र. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) तथा म.प्र. शासन के अन्य नियम लागू होंगे।
4. म.प्र. शासन वित्त विभाग की अधिसूचना क्र. एफ–9 / 3 / 2005 / नियम / चार दिनांक 02.04.2005 के अनुसार आपपर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 लागू नहीं होंगे। मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग की अधिसूचना क्र. एफ–5 / 1 / 2005 / नियम / चार दिनांक 02.04.2005 के अनुसार म.प्र. सामान्य भविष्य निधि नियम भी लागू नहीं होंगे।
5. **चयनित प्रत्याशी को आदेश जारी होने के दिनांक से अधिकतम 15 दिवस में अनिवार्यतः कार्यभार ग्रहण करना होगा। कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में अनुबंध अनुसार अग्रेतर कार्यवाही की जावेगी।**
6. आपकी सेवायें किसी भी समय नियोक्ता द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेंगी।
7. सह चिकित्सकीय संवर्गो की नियुक्ति प्रथम 03 माह के लिए पारिश्रमिक रूपये 10,000 / – पर कि गयी है उनकी 03 माह पश्चात् परीक्षा ली जावेंगी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के पश्चात ही अभ्यर्थियों को नियमित स्थापना के पदों पर नियुक्त किया जावेंगा।
8. **म.प्र. शासन सामान्य प्रशासनविभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन क्रमांक सी 3–13 / 2019 / 3 / एक भोपाल दिनांक 12.12.2019 में दिये गये निर्देशानुसार इन्हें तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि में उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70% द्वितीय वर्ष 80% एवं तृतीय वर्ष 90%राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगी। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा।**
9. आपके द्वारा प्रस्तुत कोई भी प्रमाण–पत्र / अभिलेख गलत पाये जाने पर नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा।
10. इस नियुक्ति में अनुसूचितजाति / जनजाति / अपिव / महिला के पदों के आरक्षण संबंधी प्रावधानों को ध्यान में रखा गया है।
11. आपकी नियुक्ति इस स्वशासी संस्था के सेवा शर्तों के अधीन होगी, संस्था अपनी सेवा शर्तों में आंशिक सुधार एवं परिवर्तन कर सकेगी।
12. एक बार इस संस्था में नियुक्ति होने के पश्चात आपकी सेवायें अन्य संस्थाओं में स्थानांतरित नही होगी।
13. उपस्थिति दिनांक को संपूर्ण प्रमाण–पत्र, उपाधियॉ एवं अन्य प्रमाण–पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रतियॉं जमा करना होगी तथा मूल प्रतियॉ प्रस्तुत करना होगी।
14. संस्था के किसी भी कर्मचारी को राजनैतिक अथवा किसी भी अवैध गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति नहीं है।

निरंतर 01 / 02

15. आपको कार्य पर उपस्थित होते समय अथवा उपस्थित दिनांक के 03 माह के भीतर सह चिकित्सकीय परिषद का रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है अन्यथा आपकी सेवायें स्वतः ही समाप्त मानी जायेगी।
16. चयनित प्रत्याशी की नियुक्ति पुलिस वेरिफिकेशन में उपयुक्त पाये जाने के उपरांत ही मान्य होगी।
17. संबंधित का कार्य व व्यवहार उचित न पाये जाने पर तथा हड़ताल आदि में भाग लेने पर सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।
18. शासन द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशानुसार सेवा शर्तो में परिवर्तन किये जा सकते है। यह परिवर्तन वेतन संबंधी शर्तो में भी हो सकता है।
19. भविष्य में यदि कभी भी अर्हता संबंधी कोई भी जानकारी असत्य पाई जाती है तो सेवा समाप्त की जा सकेंगी।
20. आपको कार्य पर उपस्थित होते समय जन्मतिथि बाबद् प्रमाण-पत्र, शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण-पत्र की छायाप्रति एवं अन्य वांछित प्रमाण-पत्र, दो सेवा पुस्तिका तथा रू. 3/-का ट्रैजरी चालान प्रस्तुत करना होगा।
21. आपको न्यूनतम 03 वर्ष की सेवायें देने हेतु **अनुबंध सह प्रति भूतिपत्र** निश्पादित करना होगा। सेवा अनुबंध सह प्रतिभूति पत्र में निहित शर्तो का पालन न करने पर आपको 01 वर्ष के वेतन/मानदेय के बराबर की राशि इस शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर को चुकानी होगी। यह देय राशि संबंधित से भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।
22. आपके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के संबंध में यदि भविष्य में किसी भी तरह की कोई शिकायत/आपत्ति प्राप्त होने पर जाँच के पश्चात शिकायत सही पाये जाने पर आपकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
23. संबंधित को नियुक्ति हेतु शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(डॉ. अरविन्द घनघोरिया)
अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.गॉ.स्मृ.चिकित्सा महाविद्यालय एवं
संबद्ध चिकित्सालय, इन्दौर

पृ.क्रमांक/4835-42/स्था/स्वशासी/सु.स्पे./2026 **इन्दौर, दिनांक 13/03/26**
प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
2. आयुक्त, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा म.प्र. भोपाल।
3. वरिष्ठ संयुक्त संचालक (एन.जी.) संचालनालय, चिकित्सा शिक्षा मध्यप्रदेश भोपाल।
4. लेखा शाखा, स्थानीय कार्यालय।
5. प्रभारी अधिकारी, सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल इन्दौर।
6. सिविल सर्जन, मेडिकल बोर्ड जिला चिकित्सालय, इन्दौर।
7. श्री साकेत रंजन सिंह पिता श्री डी.आर.सिंह निवासी- 1718, नेता कॉलोनी अधारवाल जबलपुर-482004 की ओर पालनार्थ।
8. कार्यालय आदेश नस्ति।

(डॉ. अरविन्द घनघोरिया)
अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.गॉ.स्मृ.चिकित्सा महाविद्यालय एवं
संबद्ध चिकित्सालय, इन्दौर